दिनांक 10.12.2013 को 11.00 बजे पूर्वा0 में समाहरणालय सभा कक्ष में श्री कुमार रवि, जिलाधिकारी, दरभंगा की अध्यक्षता में आयोजित राजस्व से संबंधित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

पंजी के अनुसार

1. राजस्व कार्यों की समीक्षा

(क) वासरहित महादलित परिवारों को भूमि उपलब्धता

समीक्षा के दौरान पाया गया कि दरभंगा जिले के सर्वेक्षित कुल 5677 बासरहित महादलित परिवारों को भूमि उपलब्ध कराया जा चुका है।

इसी क्रम में सभी अंचलाधिकारी को यह भी निदेशित किया गया कि तृतीय चरण का सर्वेक्षण कार्य सरकारी निदेश के आलोक में करते हुए साथ–साथ उन्हें भूमि उपलब्ध कराने हेतु भी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

जिलाधिकारी द्वारा यह भी निदेशित किया गया कि सभी राजस्व कर्मचारी/अंचलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अंचल में कोई बासरहित महादलित परिवार बचा हुआ नहीं रहे।

(ग) दाखिल खारिज

प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जिले के सभी 18 अंचलों को मिलाकर कुल 26592 दाखिल खारिज वादों का निष्पादन किया गया है तथा 2718 मामले लम्बित हैं, जो संतोषजनक नहीं है।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में सबसे कम दाखिल खारिज घनश्यामपुर अंचल में मात्र 390 किया गया है। उसके बाद किरतपुर में 480 एवं हनुमाननगर में 379 किया गया है। स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है। संबंधित अंचलाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि अगले एक माह में इसमें प्रगति लाने का प्रयास करें, अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायगी।

दाखिल खारिज के मामले में पुनः यह भी निदेशित किया गया अभिलेखों का सही संधारण, आर0टी0पी0एस0 से आंकड़े का मिलान तथा अस्वीकृत करनेवाले मामलों में आवेदक को सूचित कर विधिवत सुनवाई एवं आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

(घ) लगान वसूली

वसूली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले की कुल वसूली का प्रतिशत 31.24 प्रतिशत है। जिले में सबसे कम वसूली 12.35 प्रतिशत तारडीह अंचल का है। गत माह में भी इस अंचल की स्थिति खराब थी, इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है जबकि अन्य अंचलों में काफी सुधार हुआ है।

(ङ.) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के भूमि विवाद निवारण अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय वाद

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दरभंगा सदर के न्यायालय में 388, बेनीपुर में 32 तथा बिरौल के न्यायालय में 96 मामले लम्बित है। पूछताछ करने पर बताया गया कि सदर में 90 दिन के बाद वाले 65 मामले, 11 मामले बेनीपुर एवं 02 मामले बिरौल में है। आदेशों के अनुपालन की समीक्षा में पाया गया कि सदर अनुमंडल में 146, बेनीपुर में 6 तथा बिरौल अनुमंडल में 143 मामले अनुपालन हेतु लम्बित है। अनुपालन की स्थिति ठीक नहीं पायी गयी।

सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को अधिनियम लागू होने के समय से अबतक प्राप्त एवं निष्पादित वादों का वर्षवार व्यौरा भी समर्पित करने का निदेश दिया गया।